

प्रमाणन गांव के राग आमवाग 2021  
 रिपोर्ट परवारी इत्यादि / आदेश/2020/124-25  
 आदेश पर के सम्बन्ध में जमा की गई। जिसके अनुसार  
 राजस्थान सिविल इंजीनियरिंग बोर्ड के समक्ष सुरक्षा पत्रों में उल्लेख है कि आदेशों के अन्तर्गत जमा की गई सुरक्षा पत्रों को जलत दर्ज हो गया जिसके कारण सुरक्षा पत्रों का जमा जमा किया जाना उचित है।

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक - 18-10-2021

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आदेशों के अन्तर्गत जमा की गई सुरक्षा पत्रों का नाम सुरक्षित किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आदेशों का नाम सुरक्षित किये जाने की अभिगमा की जाती है / नहीं की जाती है।

2/23/21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं वदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला बुधुनु (राज.)  
 - आदेश -

दिनांक - 18-10-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरतावे के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	नीम की टाणी	2075-78	171	हिलार खाँ कुज बाध खाँ	डिवाड खाँ कुज बाग खाँ

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

243  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 124-25  
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 18-10-2021

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

243  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

